न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)
पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 45/2010
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2010/00011

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज जरिये जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ

(सायल)

बनाम

बबूल पुत्र रामकरण उर्फ रामचरण, जाति बैरवा, उम्र 22 साल, निवासी बैधजी कि टापरियां, थाना व तहसील किशनगंज, जिला बारां, (राज0)

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– सहायक लोक अभियोजक (सायल)
2– श्री बृजमोहन गोयल अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 23.08.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल बबूल पुत्र रामकरण उर्फ रामचरण, जाति बैरवा निवासी बैधजी कि टापरिया, थाना व तहसील किशनगंज, जिला बारां के विरूद्व थानाधिकारी किशनगंज की रिपोर्ट अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया है कि पुलिस थाना किशनगंज क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इसके विरूद्व थाना किशनगंज में वर्ष 2000 से 2008 तक की अवधि में कुल 21 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 379, 323, 435, 504, 34, 341, 411, 354, 457, 380 भा.द.स एवं 110 जा.फो. के तहत दर्ज हुये है। जिनमें 12 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। एक प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में बरी हुआ है। तथा एक प्रकरण में 6 माह तक शांति कायम रखने के लिए जमानत मुचलके पर पाबंद किया गया। इस प्रकार प्रकरण प्रस्तुत करने की दिनांक को गैरसायल के विरूद्व 7 प्रकरण विभिन्न धाराओं में लंबित है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निर्वासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्यकलापों से सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को अधिकांश प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व

जिला मजिस्ट्रेट
बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.21 10:58:59 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से अधिकतम समयावधि हेतु निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत करते हुए जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई। गैरसायल के द्वारा प्रकरण में जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया की गैरसायल के विरूद्व विभिन्न न्यायालयों में जो मुकदमे जैरकार थे, वे सब निर्णित हो चुके है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नही है। प्रार्थी शांतिपूर्वक खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थी किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। तथा ना ही किसी आपराधिक गिरोह का सदस्य नही है। अतः गैरसायल के विरूद्व कार्यवाही निरस्त की जावें। थाना किशनगंज से गैरसायल के वर्तमान चालचलन की रिपोर्ट तलब की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस सहायक लोक अभियोजक सरकारी पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना किशनगंज में विभिन्न धाराओं में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा गैरसायल को 6 प्रकरणों में एक–एक वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जा चुका है। फिर भी गैरसायल के चालचलन में कोई सुधार नही है, तथा गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों निरन्तर बढती जा रही है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक गैरसायल द्वारा दौराने बहस कथन किया कि गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा में अंकित सभी प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किये जा चुके है। वर्तमान में गैरसायल के विरूद्व कोई प्रकरण लंबित नही है, तथा गैरसायल के विरूद्व गत 7 वर्ष से अधिक समय से कोई नया प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है। वर्तमान मे मजदूरी करके शांति पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना, किशनगंज द्वारा प्रस्तुत गुण्डा एक्ट की कार्यवाही खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना किशनगंज में वर्ष 2000 से 2008 तक की अवधि में कुल 21 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 379, 323, 435, 504, 34, 341, 411, 354, 457, 380 भा.द.स एवं 110 जा.फो. के तहत दर्ज हुये है। जिनमें 12 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। जिनमें से इस्तगासा प्रस्तुत होने तक 7 प्रकरण गैरसायल [illegible] लंबित थे। तथा प्राप्त चालचलन रिपोर्ट थानाधिकारी किशनगंज मुकदमा नंबर 30/16 धारा [illegible] 323, [illegible] 325,34 आईपीसी नं. 39 दिनांक 28.02. 2016 न्यायालय श्रीमान जे.एम. साहब किशनगंज में लंबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.21 10:58:59 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह साबित होता है कि गैरसायल बबूल पुत्र रामकरण उर्फ रामचरण, जाति बैरवा निवासी बैधजी कि टापरिया थाना व तहसील किशनगंज, जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ)

की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को समस्त आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल बबूल पुत्र रामकरण उर्फ रामचरण, जाति बैरवा निवासी बैधजी कि टापरिया तहसील किशनगंज, जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत थाना क्षेत्र मांगरोल, जिला बारां से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल बबूल पुत्र रामकरण उर्फ रामचरण, जाति बैरवा निवासी बैधजी कि टापरिया तहसील किशनगंज, जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर कलां, जिला कोटा (ग्रामीण) को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 22.09.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीर जिला मजिस्ट्रेट, कोटा/जिला पुलिस अधीक्षक, बारां/कोटा (ग्रामीण) थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर कलां, जिला कोटा (ग्रामीण) एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां को भिजवायी जावे। थानाधिकारी किशनगंज, जिला बारां को निर्देशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना किशनगंज, जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर कलां, जिला कोटा (ग्रामीण) के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.21 10:58:59 IST
Reason: SelfAttested